INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP54715800098221W
Certificate Issued Date	:	18 May 2024 11:12 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14316704/ NAWABGANJ SADAR/ UP-BNK
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1431670405728433242543W
Purchased by	:	F B INFRA DEVELOPERS LLP THRU PARTNER
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	GATA NO-282/5, SITUATED AT VILL-MATI, PARGANA-DEWA, TEHSIL-NAWABGANJ, BARABANKI
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	MOHD NASIM
Second Party	:	F B INFRA DEVELOPERS LLP THRU PARTNER
Stamp Duty Paid By	:	F B INFRA DEVELOPERS LLP THRU PARTNER
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	3,59,000 (Three Lakh Fifty Nine Thousand only)

VERIFY BY

Please write or type below this line

नि० अं० मो० नसीम

F B INFRA DEVELOPERS LLP

(2)

विक्रय-पत्र

बिक्री 1,19,65,000/- मालियत 1,08,79,000/- ई-स्टाम्प 5,98,300/-

समायोजित स्टाम्पः- 2,39,300/-

देय स्टाम्पः- 3,59,000/-

लेख-पत्र का संक्षिप्त विवरण :

1.	भूमि का प्रकार	-	आवासीय
2.	परगना	-	देवां
3.	ग्राम	-	माती (वी कोड 1188 पृष्ठ 42)
4.	सम्पत्ति का विवरण नं0	-	282/5
5.	मापन की इकाई	-	वर्गमीटर
6.	क्षेत्रफल	-	2890 वर्गमीटर (0.289हे0)
7.	सड़क की स्थिति	-	किसान पथ से 100मी0 से अधिक दूर

8.	अन्य	-	कच्चा चकमार्ग 9मी0 से कम चौड़ा
9.	सम्पत्ति का प्रकार	-	आवासीय प्लाट
10.	निर्मित क्षेत्रफल	-	कुछ नहीं
11.	अन्य कीमत	-	कुछ नहीं
12.	सरकारी दर	-	4,500/- प्रति वर्ग मी0
13.	प्रतिफल की धनराशि	-	1,19,65,000/-

नि० अं० मो० नसीम

FB INFRA DEVELOPERS

14. चौहद्दी :

पूरब - गाटा संख्या 282/6
पश्चिम- गाटा संख्या 282/4
उत्तर - खेत रामचन्द्र गौर्य आदि
दक्षिण - गाटा संख्या 281

प्रथम पक्ष संख्या 1 विक्रेता का विवरण	द्वितीय पक्ष संख्या 1 क्रेता का विवरण
मो0 नसीम पुत्र बासित अली निवासी- ग्राम माती पो0 मुरादावाद परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी व्यवसाय- कृषि Adhar. No- xxxx xxxx 1244 Pan No- BLBPN8210N Mob-8853939246	एफ0बी0 इन्फ्रा डेवलपर्स एल0एल0पी0 (DIN No-08242763) (Pan No-AAHFF4066A) पार्टनर संतोष कुमार सिंह पुत्र कमल बहादुर सिंह निवासी- ग्राम कटहा, कारीपुरवा, सबलापुर जिला बहराइच व्यवसाय- व्यापार Adhar No-xxxx xxxx 0148 M.No- 6393477103

नि० अं० मो० नसीम

FB INFRA DEVELOPERS

-::लेखपत्र का सम्पूर्ण विवरण::-

हम मो0 नसीम पुत्र बारित अली निवासी- ग्राम माती पो0 मुरादाबाद परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी प्रथम पक्ष विक्रेता व एफ0बी0 इन्फ्रा डेवलपर्स एल0एल0पी0 पार्टनर संतोष कुमार सिंह पुत्र कमल बहादुर सिंह निवासी- ग्राम कटहा, कारीपुरवा, रावलापुर जिला बहराइच द्वितीय पक्ष क्रेता हम दोनों पक्ष भारतीय नागरिक हैं एवं दोनों पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं। जो कि प्रथम पक्ष एक किता प्लाट स्थित गाटा संख्या 282/5 ग्राम माती परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी की आराजी में है जिसका प्रथम पक्ष पूर्णतया स्वामी हैं। जो आज तक हर प्रकार के वन्धक व हस्तान्तरण आदि से शुद्ध व मुक्त प्रथम पक्ष के स्वामित्व व कब्जे में है। कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित या साझीदार नहीं है। अतः मैं प्रथम पक्ष अपनी शुद्ध बुद्धि व सचेत दशा में विना किसी दबाव के स्वेच्छा से उपरोक्त भूमि को सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार सहित मु0 1,19,65,000/- एक करोड़ उन्नीस लाख पैंसठ हजार जिसके आधे मु0 59,82,500/- उनसठ लाख बयासी हजार पांच सौ रूपया होते हैं, के बदले में द्वितीय पक्ष के हाथ बेंच दिया तथा कुल विक्रय मूल्य में से मु0 27,00,000/- रूपया जरिये RTGS बरवक्त इकरारनामा पहले ही प्राप्त कर चुका है व शेष मु0 92,65,000/- रूपया पूर्व में ही जरिये RTGS के द्वारा इस विक्रय पत्र लिखने के पहले ही प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से वसूल पा चुका है। ---

नि० अं० मो० नसीम

FB INFRA DEVELOPERS

यदि लेखपत्र में उभय पक्षों द्वारा 20,000/-रुपये से अधिक का नगद लेन-देन किया गया है। यदि इससे आयकर अधिनियम की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन होता है तो उसकी हम दोनों पक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। अब विक्रय मूल्य में से कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। अतः आज की तारीख से विक्रीत प्लाट पर द्वितीय पक्ष का पूर्ण कब्जा करा दिया। हम प्रथम पक्ष इकरार करते है कि अब आज से मुझ प्रथम पक्ष का कोई स्वत्व या सम्बन्ध विक्रीत प्लाट में शेष नहीं रहा द्वितीय पक्ष पूर्णतया स्वामी हैं। जो चाहे करे व विक्रीत प्लाट का दाखिल खारिज करे इस विक्रय-पत्र द्वारा द्वितीय पक्ष अपने नाम करा लेवे। यदि किसी की दावेदारी से कुल विक्रीत प्लाट या उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष के स्वामित्व व कब्जे से निकल जावे तो उसकी वापसी विक्रय मूल्य हर्जा व खर्चा न्यायालय सहित अर्थात उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्ष पर होगी। अस्तु यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे। बिक्रीत प्लाट प्रथम पक्ष पुश्तैनी सम्पत्ति है। जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। इसकी 50 मी0 त्रिज्या में कोई व्यवसायिक गतिविधि नहीं है तथा 100मी0 त्रिज्या में कोई मुख्य सड़क या अन्य सड़क व खड़न्जा मार्ग नहीं है। बिक्रीत प्लाट में कोई निर्माण नहीं है। इससे पूर्व इससे सम्बन्धित एक इकरारनामा बय बिला कब्जा किया गया है। जो दिनांक 21.09.2021 को उपनिबंधक कार्यालय नवाबगंज जिला बाराबंकी में किया गया है। जिसका इन्द्राज बही संख्या 1 जिल्द संख्या 14404 के पृष्ठ संख्या 101/114 के क्रमांक 17912 पर दर्ज है। जिसका स्टाम्प समायोजन का लाभ द्वितीय पक्ष इस लेखपत्र के माध्यम से ले रहा है। बिक्रीत प्लाट पूर्णतया आवासीय है जिसे द्वितीय पक्ष ने आवास के लिए खरीदा है

नि० अं० मो० नसीम

विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल 2890 वर्गमीटर (0.289हे0) है। जिसकी मालियत कुल क्षेत्रफल में से 1000वर्गमी0 की मालियत 4,500/प्रति वर्गमी0 की दर से 45,00,000/रूपया होती है तथा शेष 1890वर्गमी0 की मालियत सरकार द्वारा निर्धारित 4,500/- रू0 प्रति वर्गमीटर की दर में 25प्रतिशत घटाकर मालियत 63,79,000/रूपया है। इस प्रकार विक्रीत भूमि की कुल मालियत मु0 1,08,79,000/- रूपया होती है। जिसपर मु0 5,98,300/- मूल्य के स्टाम्प देय हैं जिसमें से 2,39,300/- मूल्य के स्टाम्प वरवक्त इकरारनामा बय दिये जा चुके हैं। शेष स्टाम्प अधिसूचना आदेश संख्या-स0वि0क0नि0-5-2756/11- 2008-500(165)/2007 लखनऊ दिनांक 30 जून 2008 के अन्तर्गत 3,59,000/- के स्टाम्प दिये गये हैं। विदित हो कि विक्रीत गाटा संख्या में विक्रेता प्रथम पक्ष का अंश शेष नहीं है। विदित हो कि आयकर अधिनियम 1961 के नियमानुसार पक्षकार द्वारा टी0डी0एस0 जमा कर दिया जायेगा। लेख पत्र में स्टाम्प देयता को प्रभावित करने वाले सभी तथ्यों का पूर्णतया सत्यतापूर्वक उल्लेख कर दिया गया है। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उक्त विक्रय पत्र पक्षकारों द्वारा दिये गये कागजात व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर लिखा गया है जिसकी समस्त जिम्मेदारी हम दोनों पक्षों पर होगी। बिक्रीत प्लाट में कोई स्टाम्प वाद नहीं है। लेखपत्र को उभय पक्षों ने भली-भाँति पढ़ व सुन व समझकर हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा किया है। तथा दोनों पक्षों के फोटो की पहचान उनके द्वारा दाखिल कराये गये साक्ष्य के आधार पर की गयी है।

--

वि० अं० भो० मलीम

आवेदन सं०: 2024[illegible]12

विक्रय पत्र

बही सं०: 1 रजिस्टर्ड सं०: 14232 वर्ष: 2024

प्रतिफल: 1195400 स्टाम्प शुल्क: 155000 बाजारी मूल्य: 1027[illegible] पंजीकरण शुल्क: 119654 प्रतिलिपिकरण शुल्क: 60 योग: 119710

श्री एस०डी०इ०टी०एन०सी०इ०पा०संतोषकुमारसिंह,
पुत्र श्री कमल बहादुर सिंह
व्यवसाय: व्यापार
निवासी: ग्राम व पो० कारीपुरवा सबलापुर जिला महाराजगंज।

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 22/05/2024 एवं 01:01:33 PM बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्र० पीना झा
उपनिबंधक सदर
बाराबंकी
22/05/2024

सूर्य प्रकाश पाण्डेय
निबंधक लिपिक
22/05/2024

प्रिंट करें

जिसकी फोटो प्रति साथ में संलग्न है। विक्रीत सम्पत्ति पर किसी न्यायालय में कोई वाद लम्बित नहीं है और न ही स्थगन आदेश पारित है। लेखपत्र में अंकित सम्पत्ति वक्फ की सम्पत्ति नहीं है।

दिनांक 18.05.2024

गवाह 1.

अखिलेश सिंह पुत्र अनिल कुमार सिंह
निवासी-ग्राम व पोस्ट खेमापुर,
जिला अम्बेडकरनगर
Adhar No- xxxx xxxx 9087
M.No- 9653030866

गवाह 2.

मो0 मुईन पुत्र मो0 नसीम
निवासी-ग्राम माती परगना देवां
नवावगंज वाराबंकी।
Adhar No- xxxx xxxx 1887
M.No- 8853939246

मसविदाकर्ता

Ashish

आशीष कुमार उपाध्याय
एडवोकेट
सिविल कोर्ट-बाराबंकी
बार कौंसिल नं०-
मो०-9336371231

आवेदन सं०: 2024000900010012

बही सं० 1 रजिस्ट्रेशन सं० 14212 वर्ष 2024

निम्नांकित तीसरा पक्ष सुनने व समझने मजमून व प्रपत्र पत्रावलि के प्रतीकानुसार उक्त विक्रेता: 1

श्री मो० कासिम, पुत्र श्री वासिल अली

निवासी ग्राम माती पो० मुरादाबाद परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी

व्यवसाय: कृषि

क्रेता: 1

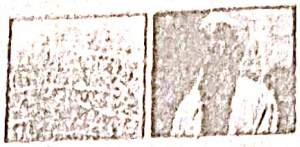

श्री इ० जी० इ० डी० ए० पी० इ० ओ० रोहित कुमार सिंह, पुत्र श्री कमल बहादुर सिंह

निवासी ग्राम कटरा कादीपुरा सबलापुर जिला बहराइच।

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री अखिलेश सिंह, पुत्र श्री अनिल कुमार सिंह

निवासी: ग्राम व पोस्ट खेमापुर जिला अम्बेडकरनगर

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री मो० मुईन; पुत्र श्री मो० नसीम

निवासी: ग्राम माती परगना देवा नवाबगंज जिला बाराबंकी

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत: भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है । टिप्पणी विक्रेता ने प्रलेखानुसार प्रतिफल की प्राप्ति स्वीकार किया जिसकी पुष्टि बयान से कर ली गयी है।

Vinayjha

प्र० वीना झा

उप निबंधक : सदर

बाराबंकी

22/05/2024

सूर्य प्रकाश पाण्डेय

निबंधक लिपिक बाराबंकी

22/05/2024

प्रिंट करें

चस्पा-फोटो

स्थित - ग्राम माती परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी
गाटा संख्या - 282/5
विक्रेता - मो0 नसीम
क्रेता - एफ0बी0 इन्फ्रा डेवलपर्स एल0एल0पी0

नि० अं० मो० नसीम

विक्रेता

क्रेता

रेखांकित मानचित्र

स्थित - ग्राम माती परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी
गाटा संख्या - 282/5
विक्रेता - मो0 नसीम
क्रेता - एफ0बी0 इन्फ्रा डेवलपर्स एल0एल0पी0

उत्तर
पश्चिम — पूरब
दक्षिण

खेत रामचन्द्र मौर्य आदि

गाटा संख्या 282/4

विक्रीत प्लाट

गाटा संख्या 282/6

गाटा संख्या 281

विक्रेता
मो० नसीम

क्रेता

आवेदन सं०: 202400898018032

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 17598 के पृष्ठ 167 से 186 तक क्रमांक 14232 पर दिनाँक 22-05-2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के ह

प्रो. वीना झा
उप निबंधक : सदर
बाराबंकी
22/05/2024

न्यायालय : - उपजिलाधिकारी
मण्डल :अयोध्या , जनपद :बाराबंकी , तहसील :नवाबगंज
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T2022412480119734
वाद संख्या:- 19734/2022
मो० नसीम बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 80
अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 24/09/2022

निर्णय

प्रस्तुत वाद धारा-80 उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत मोहम्मद नसीम पुत्र बासित अली निवासी ग्राम माती परगना देवा तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 06.09.2022 पर तहसीलदार नवाबगंज द्वारा नियत प्रारूप पर प्रेषित आख्या दिनांक 20.09.2022 के आधार पर प्रारम्भ हुई। वाद नियमानुसार पंजीकृत किया गया।

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि खतौनी सन् फ0 1427-1432 की खाता संख्या 00449 की गाटा संख्या 42/5 रकबा 0.078हे0 व गाटा संख्या 63/5 रकबा 0.097हे0 व गाटा संख्या 282/5 रकबा 0.289हे0 कुल 03 किता कुल रकबा 0.464हे0 माल गुजारी रू0 20.55 स्थित ग्राम माती परगना देवा तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी वादी के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज सरकारी कागजात है। वादी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त गाटा संख्या पर आवासीय गतिविधियाँ विद्यमान हो जाने के कारण अब उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य सम्भव नहीं है, जिसके कारण उपरोक्त भूमि कृषि कार्य प्रयोजन में न आने के कारण गैर कृषिक घोषित किये जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार नवाबगंज द्वारा प्रेषित जॉच आख्या 20.09.2022 एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर वादी के नाम खतौनी फ0 वर्ष 1427-1432 की खाता संख्या 00449 की गाटा संख्या 42/5 रकबा 0.078हे0 व गाटा संख्या 63/5 रकबा 0.097हे0 व गाटा संख्या 282/5 रकबा 0.289हे0 कुल 03 किता कुल रकबा 0.464हे0 को धारा-80(2) राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत गैरकृषिक प्रयोजन हेतु घोषित किए जाने की उदघोषणा निम्न प्रकार से उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन की जा रही है:

1-धारा-80(2)उ0प्र0रा0सं0 2006 के अन्र्तगत तहसीलदार नवाबगंज द्वारा प्रेषित आख्या निम्नवत् है:-

राजस्व ग्राम का नाम माती परगना देवा तहसील नवाबगंज बाराबंकी

भूमिधर का नाम/पिता का नाम व स्थानः मोहम्मद नसीम पुत्र बासित अली निवासी ग्राम माती परगना देवा तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी।

खतौनी खाता संख्या/खाते का क्षे0/माल गुजारी-00449/0.464हे0/रू0 20.55

गाटा संख्या/आवेदित अंशः- 42/5/0.078हे0 व गाटा संख्या 63/5/0.097हे0 व गाटा संख्या 282/5/0.289हे0 कुल 03 किता कुल रकबा 0.464हे0

शुल्क का विवरण-उद्घोषणा शुल्क रू0 27840-00 व स्टाम्प शुल्क रू0 27840-00

2-वादी द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र दिया गया है। ऐसी स्थिति मे नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है।

3-वादी के आवेदित रकबा 0.464हे0 पर आवासीय/व्यवसायिक गतिविधियॉ प्रस्तावित है, जिसका सम्बन्ध कृषि बागवानी, मत्स्य पालन व कुटकुट पालन से नहीं है।

4-उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली-2016 की धारा-85(2) के अन्र्तगत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा प्रश्नगत रकबे का कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार उद्घोषणा शुल्क हेतु आगणित रकम का एक प्रतिशत रू0 27840-00 चालान संख्या आर0ए0ज 220035428/21.09.2022 व विभाजन शुल्क रू0 1000-00 चालान संख्या 5400/1/आई0एन

00049/22.09.2022 व स्टाम्प शुल्क रू0 27840-00/21.09.2022 का ई0स्टाम्प संख्या आई0एन0-यू0पी0-002501004710842यू0 दाखिल किया गया है।

5- चूँकि वादी द्वारा जोत का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, इसलिए राजस्व नियमावली-2016 के नियम-88 के अन्तर्गत उल्लिखित राजस्व संहिता-2006 की धारा-22 (2) के अनुसार उद्घोषणा शुल्क जरिये चालान सम्बन्धित लेखा शीर्षक में व न्याय शुल्क जरिये स्टाम्प जमा किया गया है।

6-इस उद्घोषणा में मात्र भूमि पर अकृषिक गतिविधियाँ प्रारम्भ होने के आधार पर भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन घोषित किया जा रहा है, परन्तु मात्र इस घोषणा के आधार पर कोई भू-स्वामी भू-अर्जन की स्थिति में व्यवसायिक दर से प्रतिकर की माँग नही करेगां इस सम्बन्ध मे वादी द्वारा शपथ पत्र स्टाम्प संख्या 58ए0ई0 979548/01.09.2022 पर प्रस्तुत किया गया है।

7-यह उद्घोषणा मात्र भूमि के अकृषिक प्रयोजन के संदर्भ में है, इस उद्घोषणा को स्वत्व सम्बन्धी किसी विवाद में आधार नही माना जायेगा। इस सम्बन्ध मे वादी द्वारा शपथ पत्र स्टाम्प संख्या 58ए0ई0 979548/01.09.2022 पर प्रस्तुत किया गया है।

8-इस उद्घोषणा का विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत बाराबंकी पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा। आवेदक को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना तथा मानचित्र स्वीकृत कराना होगा तथा विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत योजना का पालन करना होगा।

9-आवेदित गाटा संख्या में अन्य सहखातेदार नही हैं।

अतएव प्रश्नगत भूमि गैरकृषिक प्रयोग में लाया जाना प्रस्तावित है। अतः ग्राम माती परगना देवा तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी स्थित भूमि खाता संख्या 00449 की गाटा संख्या 42/5 रकबा 0.078हे0 व गाटा संख्या 63/5 रकबा 0.097हे0 व गाटा संख्या 282/5 रकबा 0.289हे0 कुल 03 किता कुल रकबा 0.464हे0 माल गुजारी रू0 20.55 को कृषि से अलग कार्यो में प्रयुक्त किये जाने के कारण धारा-80(2) उ0प्र0राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत गैरकृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट तहसीलदार नवाबगंज द्वारा अग्रसारित की गयी है। तहसीलदार नवाबगंज की जॉच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया गया जिससे विदित होता है कि आवेदक के नाम आवेदित रकबा 0.464 हे0 गैरकृषिक प्रस्तावित भूमि घोषित किया जा सकता है। इस कारण उक्त धारा के अन्तर्गत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा शुल्क रू0 27840-00, विभाजन शुल्क रू0 1000-00 का चालान एवं स्टाम्प शुल्क रू0 27840-00 का ई-स्टाम्प आवेदक द्वारा जमा किया गया। अतः उपरोक्त भूमि राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(2) के अन्तर्गत गैरकृषिक प्रस्तावित भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

आदेश

अतः ग्राम माती परगना देवा तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी की खतौनी फ0 वर्ष 1427-1432 की खाता संख्या 00449 पर मोहम्मद नसीम पुत्र बासित अली के नाम संक्रमणीय भूमिधर (श्रेणी 1-क) अंकित भूमि गाटा संख्या 42/5 रकबा 0.078हे0 व गाटा संख्या 63/5 रकबा 0.097हे0 व गाटा संख्या 282/5 रकबा 0.289हे0 कुल 03 किता कुल रकबा 0.464हे0 माल गुजारी रू0 20.55 को धारा-80(2) उ0प्र0 रा0सं0-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश-2019 के अन्तर्गत गैर कृषिक प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि घोषित किया जाता है। आवेदक को धारा 80(2) उ0प्र0 रा0सं0-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश- 2019 की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। मात्र इस उद्घोषणा के आधार पर व्यवसायिक दर से प्रतिकर देय नही होगा तथा इस उद्घोषणा का जिला पंचायत बाराबंकी की महायोजना पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा। आवेदक को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना तथा मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा एवं जिला पंचायत बाराबंकी की योजना का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। यदि उल्लिखित गाटा संख्याओं के विरूद्ध ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उ0प्र0रा0सं0-2006 की धारा-82 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक नवाबगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। बाद अमलदरामद पत्रावली सचित अभिलेखागार हो।

दिनांक- 24 सितम्बर,2022